## <u>न्यायालय : गोपेश गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद</u> <u>जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश</u>

प्रकरण क्रमांक : 362 / 2012

संस्थापन दिनांक 07.06.2012

म.प्र.राज्य द्वारा पुलिस थाना गोहद चौराहा जिला भिण्ड म.प्र.

– अभियोजन

## बनाम

1—अनिल जाटव पुत्र हाकिमसिंह जाटव उम्र 30 साल निवासी प्रेमनगर थाना गोरमी जिला भिण्ड

अभियुक्त

## <u>निर्णय</u>

( आज दिनांक.....को घोषित )

2

उपरोक्त अभियुक्त के विरुद्ध धारा 25(1—बी)(बी) आयुध अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 24.05.12 को 07:45 बजे या उसके लगभग गुरूद्वारा के पास स्टेशन रोड गोहद चौराहा अंतर्गत थाना गोहद क्षेत्र में बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के अवैध रूप से अपने अधिपत्य में एक लोहे की तलवार जिसकी लंबाई धार की दो फीट पांच इंच प्रतिबंधित आकार की रखे पाया गया।

अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि दिनांक 24.05.12 को ए.एस.आई. सुभाष पाण्डे अ0सा03 रोजनामचा सान्हा क्रमांक 927 पर रवानगी डालकर मय फोर्स के थाने से कस्बा गश्त हेतु रवाना हुए थे। गश्त के दौरान उन्हें जर्ये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि गुरूद्वारा के पास एक व्यक्ति तलवार लिए कोई वारदात करने की फिराक में खड़ा है। उक्त सूचना पर मुखबिर के बताये स्थान पर पहुंचने पर आरोपी पुलिस को देखकर छिप गया तथा तलाश करने पर आरोपी तलवार लिए दीवाल की ओट में छिपा दिखा जिसको फोर्स की मदद से पकड़कर नाम पता पूछा तो आरोपी ने अपना नाम अनिल जाटव बताया। आरोपी से तलवार रखने का लाइसेन्स पूछने पर आरोपी ने न होना बताया। आरोपी का यह कृत्य धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत दण्डनीय होने से समक्ष गवाहन तलवार को जप्त कर आरोपी को गिरफतार किया गया। जप्ती पत्रक प्र0पी—1 व गिरफतारी पत्रक प्र0पी—2 बनाया गया। थाना वापिसी पर एफ.आई.आर. प्र0पी—4 के अनुसार अप0क0 90 / 12 पंजीबद्ध कर कर मामला विवेचना में लिया गया।

संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनना प्रकट होने से अभियोग पत्र विचारण हेत् न्यायालय के समक्ष प्रेश किया गया।

आरोपी ने आरोप पत्र अस्वीकार कर विचारण का दावा किया है और आरोपी की प्रतिरक्षा है कि उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है बचाव में किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं कि क्या आरोपी दिनांक 24.05.12 को 07:45 बजे या उसके लगभग गुरूद्वारा के पास स्टेशन रोड गोहद चौराहा अंतर्गत थाना गोहद क्षेत्र में बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के अवैध रूप से अपने अधिपत्य में एक लोहे की तलवार जिसकी लंबाई धार की दो फीट पांच इंच प्रतिबंधित आकार की रखा हुआ पाया गया ?

## 🌈 / / विचारणीय प्रश्न पर सकारण निष्कर्ष / /

फरियादी साक्षी सुभाष पाण्डे अ०सा०३ का कथन है कि वह दिनांक 24.05. 12 को थाना गोहद चौराहा पर एएसआई के पद पर पदस्थ था उक्त दिनांक को रोजनामचा सान्हा क्रमांक 927 मय फोर्स के करबा भ्रमण हेतु मय शासकीय वाहन के रवाना हुआ था। भ्रमण के दौरान जैन मंदिर गली में पहुंचा तो जर्ये मुखबिर सूचना मिली कि गुरूद्वारा के पास एक आदमी तलवार लिए कोई वारदात करने की फिराक में है। सूचना पर मुखबिर के बताये स्थान पर पहुंचा तो एक आदमी तलवार लिए खड़ा था जिसे फोर्स की मदद से पकड़ा तथा नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम अनिल जाटव बताया। आरोपी से तलवार रखने का वैध लाइसेन्स मांगा तो आरोपी ने नहीं होना बताया मौके पर अनिल जाटव के कब्जे से तलवार जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र0पी—1 व गिरफतारी पंचनामा प्र0पी—2 बनाया जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा थाने पहुंचकर अपनी वापसी रोजनामचा सान्हा क्रमांक 929 पर दर्ज की थी जो प्र0पी—3 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। वापिसी पर अप०क० 90 / 12 धारा 25बी आर्म्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया, जिसकी एफ.आई.आर. प्र0पी—4 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

साक्षी मनोज शुक्ला अ०सा०1 का कथन है कि वह दिनांक 24.05.12 को थाना गोहद चौराहा पर आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को सुबह के समय ए.एस.आई. सुभाष पाण्डे अ०सा०3 के साथ मय फोर्स के कस्बा भ्रमण हेतु गया था तभी उनको मुखबिर द्वारा मोबाइल पर सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति तलबार लिए गुरूद्वारे के पास रोड पर खड़ा हुआ है सूचना की तस्दीक हेतु मुखबिर के बताये स्थान पर पहुंचे तो आरोपी पुलिस को देखकर भागने लगा जिसे पकड़ा तथा नाम पता पूछा तो आरोपी ने अपना नाम अनिल जाटव बताया। आरोपी हाथ में तलवार लिए हुए था जिसे मौके पर जप्त कर जप्ती पत्रक प्र०पी—1 बनाया गया जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

रणजीत अ0सा02 ने कथन किया है कि वह आरोपी अनिल को नहीं जानता है जप्ती पत्रक प्र0पी—1 के ए से ए व गिरफतारी पत्रक प्र0पी—2 के बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन द्वारा सुझाव स्वरूप पूछे जाने पर इस साक्षी ने स्वीकार किया है कि दिनांक 24.05.12 को एएसआई सुभाष पाण्डे अ0सा03 ने तलवार जप्त की थी लेकिन वह आरोपी अनिल को नहीं जानता। इस सुझाव को स्वीकार किया है कि आरोपी अनिल को उसके समक्ष गिरफतार किया था। इस सुझाव को स्वीकार किया है कि दिनांक 24.05.12 को वह स्टेशन रोड से गुरूद्वारे के पास खड़ा था तब सुभाष पाण्डे अ0सा03 फोर्स के साथ उसे लेकर गये तब गुरूद्वारे के पास दीवार की ओट में एक

व्यक्ति छिपा था जिसे पुलिस ने पकड़ा था वह स्वयं नगर रक्षा सिमित का सदस्य है। प्रितिपरीक्षण में इस साक्षी ने कथन किया है कि पुलिस ने दस्तावेजों पर उसके हस्ताक्षर कराये थे वह पढ़कर नहीं देखा था। इस सुझाव को भी स्वीकार किया है कि उसके सामने कोई तलवार जप्त नहीं हुई थी और केवल पुलिसवाले बता रहे थे। अतः घटना का प्रत्यक्ष साक्षी होते हुए इस साक्षी ने मात्र आरोपी को गिरफतार करना स्वीकार किया है लेकिन गिरफतारी के समय आरोपी से कोई तलवार जप्त होने का स्पष्टतः खण्डन किया है। उक्त साक्षी महत्वपूर्ण साक्षी है जो नगर रक्षा सिमित का सदस्य होकर स्वतंत्र साक्षी भी है। परन्तु उसने आरोपी से कोई भी आयुध जप्त होने से इंकार किया है।

मनोज अ०सा०1 ने मुख्यपरीक्षण और प्रतिपरीक्षण में रणजीत अ०सा०2 की उपस्थिति नहीं बतायी है और न ही सुभाष अ०सा०3 ने मुख्यपरीक्षण में रणजीत अ०सा०2 की उपस्थिति बतायी है। अतः दोनों ही पुलिस साक्षीगण ने स्वतंत्र साक्षी की उपस्थिति का न्यायालयीन कथन नहीं किया है। सुभाष अ०सा०3 ने मुख्यपरीक्षण में मनोज अ०सा०1 की उपस्थिति का कथन नहीं किया है जबिक मनोज अ०सा०1 पुलिस साक्षी होकर उसका हमराह था। अतः फरियादी व साक्षी मनोज अ०सा०1 ने परस्पर जप्ती के समय उपस्थिति व्यक्तियों के समान रूप से नाम स्पष्ट नहीं किए हैं और मात्र पुलिस साक्षीगण के कथन अभिलेख पर हैं।

मनोज अ०सा०1 अथवा सुभाष अ०सा०3 ने मुख्यपरीक्षण में यह कथन नहीं किया है कि तलवार की ब्लेड धारदार थी अथवा नहीं संपत्ति विनिष्ट होने से प्रदर्शित नहीं कराई जा सकी है। धारा 4 आयुध अधिनियम के अधीन जारी अधिसूचना दिनांकित 22.11.1974 के अधीन तलवार उस दशा में प्रतिबंधित आकार की होती है जबिक वह धारदार हो अतः जप्त तलवार निषेधित आकार की थी इस संबंध में ही कोई अभियोजन साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है जोिक जप्त वस्तु को धारण करना अपराध को सृष्ट करता हो। सुभाष अ०सा०3 ने तलवार का आकार भी अपने कथन में स्पष्ट नहीं किया है कि उसकी ब्लेड की लंबाई, चौडाई कितनी थी।

अतः घटना के स्वतंत्र साक्षी रणजीत अ०सा०२ ने आरोपी से अभिरक्षा में तलवार जप्त होने से स्पष्ट इंकार किया है। दोनों पुलिस साक्षीगण मनोज अ०सा०१ व सुभाष अ०सा०३ ने जप्ती के साक्षीण की उपस्थिति का स्पष्ट कथन नहीं किया है। जप्त तलवार निषेधित आकार की होना भी प्रमाणित नहीं हुआ है जिससे कि अपराध का आवश्यक तथ्य भी प्रमाणित नहीं होता है। अतः उपरोक्त संपूर्ण तथ्यों से अभियोजन अपना मामला साबित करने में असफल रहता है और यह सिद्ध नहीं होता है कि आरोपी दिनांक 24.05.12 को 07:45 बजे या उसके लगभग गुरुद्वारा के पास स्टेशन रोड गोहद चौराहा अंतर्गत थाना गोहद क्षेत्र में बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के अवैध रूप से अपने अधिपत्य में एक लोहे की तलवार जिसकी लंबाई धार की दो फीट पांच इंच प्रतिबंधित आकार की रखा हुआ पाया गया।

परिणामतः आरोपी को धारा 25(1—बी)(बी) आयुध अधिनियम के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया गया।

12 आरोपी के जमानत व मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं। 13 प्रकरण में जप्त तलवार पूर्व में नष्ट की जा चुकी है।

दिनांक :-

11

सही / –
(गोपेश गर्ग)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0